

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
नई दिल्ली-29 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान  
इज्जर

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता कुमारी पति- अरुण कुमार शर्मा ग्राम- बथौली पो०- तिलरथ थाना- वरौनी जिला- बेगूसराय यूएचआईडी न०- 106693932	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	नविता कुमारी पति- कुंदन कुमार सिंह ग्राम- गौरीपुर पो०- सिंघेश्वर थाना- सिंघेश्वर जिला- मधेपुरा यूएचआईडी न०- 106467695	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

नोट :- चेक "NCI PATIENT TREATMENT" के नाम से निर्गत है।

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000 /- (दो लाख) रुपये का क्रास चेक सं०. 002561.....  
... . मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 259(14)

पटना, दिनांक

28/1/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीज /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
धर्मशीला नारायणा  
सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
धर्मशीला मार्ग, वसुन्धरा इंकलेबं  
दिल्ली-110096

पटना, दिनांक .....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर आलोक कुमार पिता- मनोज चौरसिया ग्राम+पो०- लोमा थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			₹ 5,00,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 5,00,000/- (पाँच लाख) का क्रास चेक सं०...002562..... मूल रूप में सलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वाराभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28/11/2026

ज्ञापक 261(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14 / एम 11-1 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
कैंसर अस्पताल 3081, नयाबाद,  
कोलकता-700094

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आदित्य राज पिता- प्रकाश दास ग्राम+पो०- सेवा थाना- गिद्धौर जिला- जमुई	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रिया राज पिता- प्रकाश दास ग्राम+पो०- सेवा थाना- बिद्धौर जिला- जमुई	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 2,00,000 /-	

नोट- चेक- "Netaji Subhas Chandra Bose Cancer Hospital" के नाम से निर्गत है।

- उक्त अनुदान की कुल ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रूपया का क्रास चेक सं० 002563 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 278(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी सिनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक  
डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारिनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक. ....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पवन कुमार यादव पिता- भूमि यादव ग्राम+पो०- जरैला थाना- त्रिवेणीगंज जिला- सुपौल यूएचआईडी न०-108563625	बोन मैरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
2	आदित्य राज पिता- सजीव कुमार ठाकुर ग्राम- गोही विशुनपुर लखनी पो०- गोही थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी न०- 108550232	बोन मैरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
3	संजय कुमार पिता- सत्यनारायण सिंह ग्राम- गेट न०- 45 सतीस्थान मैनपुरा पो०- जी पी ओ थाना- पाटलीपुत्रा जिला- पटना यूएचआईडी न०- 108423493	अप्लास्टिक एनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

4	अचिन्त्य पाठक पिता- कामोद कुमार पाठक ग्राम- कैलाशपुरी पो0+थाना- डुमरा जिला- सीतामढी यूएचआईडी नं0- 104198614	Growth Harmone Deficiency	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			12,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002567 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 255(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 002567 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
28/1/26

स० सं० 14 / एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक. . . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	होजैफा साकिब पिता- साकिब जमाल ग्राम- सदर बाजार हाजी मार्किट वार्ड नं०- 23 पो०- समस्तीपुर थाना- समस्तीपुर जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी नं०- 105516832	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002541 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 256(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किसलग्न चेक सं० 0025061... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14 / एम 11-01 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक .. . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विश्वामित्र पासवान पिता- श्रीराम पासवान ग्राम+पो०- डिहरी थाना- राजपुर जिला- बक्सर यूएचआईडी न०- 108448103	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	राजेश प्रसाद गुप्ता पिता- वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ग्राम- बगही कानु टोला पो०- बगही रतनपुर थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न०- 104750953	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	दुर्गावती देवी पति- दिनेश दुबे ग्राम- विशुनपुरवा पो०- सिसवनिया थाना- दरपा जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न०- 101966992	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सीमा कुमारी मिश्रा पति- अखिलेश्वर शुक्ल ग्राम- अमवा पो०+थाना- भोरे जिला- गोपालगज यूएचआईडी न०- 108483616	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			<b>3,80,000</b>	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~0025064~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- CA 10874584292, खाता धारक का नाम- DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28/11/2026

ज्ञापक

257(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~0025064~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय कुमार सुमन पिता- बलिराम सिंह ग्राम- शहर छपरा पो0- परसा थाना- डेरनी जिला- सारण यूएचआईडी न0- 107117497	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	दीपक शर्मा पिता- लालबाबू ठाकुर ग्राम+पो0- सेमरा थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 107979321	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	तौकीर आलम पिता- नजीर अंसारी ग्राम- फौलादपुर पो0- रतनी बाजार थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद यूएचआईडी न0- 108518114	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
			7,75,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,75,000/- (सात लाख पचहत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0025067 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 -

10874584010, खाता धारक का नाम— निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28/11/2026

ज्ञापाक 258(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025-061 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	विशेष नाथ तिवारी पिता- गौतम तिवारी ग्राम- मडसरा पो०- रूकुन्दीपुर थाना- दरौदा जिला- सिवान	Gamma Knife Surgery	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० ~~002567~~ ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 10874584576, खाता धारक का नाम- AIIMS GAMMA KNIF PATIENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज


ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 260(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 0025164 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
28/11/26  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
मेडिकल सुप्रीटेडेंट,  
डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल,  
नई दिल्ली-110001

पटना, दिनांक.....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशीष कुमार चौधरी पिता-उमाकान्त चौधरी ग्राम+पो०-नेहरा थाना-नेहरा जिला-दरभंगा	हृदय रोग बाईपास सर्जरी सीएबीजी	43,250	तेतालीस हजार दो सौ पचास स्वीकृत।
			43,250	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 43,250/- (तेतालीस हजार दो सौ पचास) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 0022567 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-26020100006069 खाता धारक का नाम-Dr. R.M.L. Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ बडौदा, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं०-BARB0RAMDEL में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।



5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 262(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025... को कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई.पी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-1 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
**Medanta Hospital,  
Sector-A, Pocket 1,  
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,  
Lucknow - 226030**

पटना, दिनांक. . . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	कमेक्षा प्रसाद पिता- शिवदयाल चौरसिया ग्राम- बलईपुर पो०- भैसाखाल थाना- जीरादेई जिला- सिवान	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 0025067 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41120248418, खाता धारक का नाम- Global Health Limited, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0004298 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को



कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 263(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025064 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
28/1/26  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,

**TENDER PALM SUPER SPECIALITY HOSPITAL,  
Gomati Nagar Extension,  
Shaheed Path, Lucknow - 226002**

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुकेश कुमार गुप्ता पिता- सुरेश प्रसाद गुप्ता ग्राम- राजवाही कालोनी सरेया वार्ड 03 पो०+थाना- गोपालगज जिला- गोपालगज	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /-(तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~00225467~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200094202233 खाता धारक का नाम-“**Health Plus Research & Medicentre LLP**” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC BANK**, शाखा का नाम- **SAPRU MARG HAZRATGANJ BRANCH LUCKNOW 226001**, ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० **HDFC0001267** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक

है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 264(14)

पटना, दिनांक

28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025067 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान सस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इन्तजार आलम पिता- जाकिर मिया ग्राम- छागरहा पो०- छपरा थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 2023530780	Urethroplasty	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	पवन कुमार पिता- राजेंद्र दास ग्राम+पो०- चडरहिया थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 2023187285	Juvenile Idiopathic arthritis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सारिका देवी पति- मतोष कुमार ग्राम- रूसूलपुर सालीम पो०- भीखनपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 2018051376	Budd Chairy Sundrome	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सजय कुमार पिता- बैद्य नाथ महतो ग्राम- पिरौछा पो०- काटा पिरौछा थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 2024872640	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	धीरज महतो पिता- सीताराम महतो ग्राम- धूमनगर बखरी पो0- सिंगौल थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2024505012	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	अश चौरसिया पिता- चद्रभूषण प्रसाद ग्राम- गम्हरिया कला पो0- गम्हरिया कला थाना- दरपा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 2025239291	Craniophaeynvi ona (Padiatric)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	दिलीप पाण्डेय पिता- राजेन्द्र पाण्डेय ग्राम- रतना पो0- कारुबीगहा थाना- छबिलापुर जिला- नालदा सीआर न0- 2025910743	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	निर्मला देवी पति- राजेद्र साह ग्राम- ब्रम्हर्षि नगर पो0- मेहसौल थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर नं0- 2014583275	अप्लास्टिक एनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
9	निषाद खातून पति- रेयाज अहमद खान ग्राम- बलुआ मदिर के पास पो0+थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2014599105	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	प्रियका देवी पति- विकाश कुमार राय ग्राम- खैरही पो0- पचपोखरी थाना- नोखा जिला- रोहतास सीआर नं0- 2024239783	ILD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	बजरंग कुमार पिता- खरीदन राय ग्राम+पो0- ओल्हनपुर थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 2023677478	Hemolobinuria	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

12	प्रदीप कुमार पिता- बाबूलाल सिंह ग्राम- भेलपुर पो0- सिकदरपुर थाना- जी बी नगर जिला- सिवान सीआर न0- 2015803720	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	ओम कुमार पिता- मुकेश सहनी ग्राम+पो0- सलेमपुर थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज सीआर नं0- 2025503234	लीवर रोग सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	रघुनाथ सिंह पिता- स्व0 सिद्धनाथ सिंह ग्राम+पो0+थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 2017176171	नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
15	रुबी देवी पति- पवन साह ग्राम- बिस्फी गोला पो0+थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी सीआर न0- 20241093497	Insular Glcoma	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	छोटेलाल यादव पिता- रामनक्षत्र यादव ग्राम- खिरीडीह पो0- भरपुरवा थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 2012364829	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
17	मनीषा कुमारी पिता- शर्मा जी चौहान ग्राम- रकबा खाप पो0- सोनगढवा थाना- श्रीपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 2026018304	Right Orbital Mass Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
18	रोहित कुमार पटेल पिता- राजा राम प्रसाद ग्राम- पहाडपुर छागुर पो0+थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 2025921223	हृदय रोग एमभीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
19	विमला देवी पति- रामयोगी यादव ग्राम- चक्की भोला डेरा पो0+थाना- चक्की जिला- बक्सर सीआर न0- 20251268386	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

20	अशोक कुमार सिंह पिता- स्व० कामेश्वर सिंह ग्राम- कर्णपुरा (कलवरिया) पो०+थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ सीआर नं०- 2026013014	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
21	सुबोध कुमार पिता- बासुदेव सिंह ग्राम- नारायणपुर पो०+थाना- डुमरा जिला- सीतामढी सीआर न०- 20241024937	BMG Urethroplasty	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
22	रिशु कुमार पिता- अभय कुमार ग्राम+पो०- भाथा थाना- मकेर जिला- सारण सीआर न०- 2018268085	CAPD	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
23	अर्चिता पिता- किशोर सिन्हा ग्राम- चाणक्य नगर डाकबगला रोड बेगूसराय पो०+थाना- बेगूसराय जिला- बेगूसराय सीआर नं०- 2024742898	VVF small capacity bladder	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
24	रमेश साह पिता- लक्ष्मी साह ग्राम- मर्जादपुर पो०- सेमरा मेडरौल थाना- चिऊटाहॉ जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 2025630767	ENPVO	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
25	सूर्यमुखी देवी पति-रघुनाथ साह ग्राम-हुस्सेपुर पोस्ट-हुस्सेपुर थाना-भोरे जिला गोपालगज सीआरन०-2025580013	हृदय रोग एम०भी० आर०	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
26	बेबी ऑफ निशु कुमारी (प्रेम कुशवाहा) पिता- मधु कुमार ग्राम- आदमपुर वार्ड 42 पो०- करवान्डीया थाना- सासाराम जिला- रोहतास सीआर न०- 20221014788	Pyelophasty	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

27	ज्ञान्ती देवी पति- दीनानाथ पांडेय ग्राम- जोगापुर कोठी वार्ड 02 पो0- जोगापुर कोठी थाना- जामो बाजार जिला- सिवान सीआर नं0- 2023627683	Systemmic Sclerosis and ILD	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
28	शिव नारायण पंडित पिता- मोहन पंडित ग्राम- राम नगर सुशीला सहाय फॅक्टरी पो0- बुनियादगज थाना- मुफसिल जिला- गयाजी सीआर न0- 2025842216	Open cholemystect iomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
29	रचना कुमारी पिता- बागेश राम ग्राम- शिवपट्टी पो0- पुरैना थाना- शनिचरी जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2025708785	Bram Tumour Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	लक्षन मुखिया पिता- भोला मुखिया ग्राम- रामपुर बहेलिया पो0- बगही थाना- योगापट्टी जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2022903733	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	रजनी कानत सिंह पिता- रामेश्वर सिंह ग्राम- भोखारी पो0- बिसोडीहारी थाना- करगहर जिला- रोहतास सीआर नं0- 20251242732	हृदय रोग एवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
32	रोहित कुमार पिता- गणेश भगत ग्राम- जुडावनपुर गोपालपुर पो0- मनियारपुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 2024932170	PPAU	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			31,30,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 31,30,000/- (इक्कतीस लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0025\*67 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 265(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025067 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट,  
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,  
गांधी मेमोरियल एड एसोसियेट अस्पताल  
लखनऊ, उ0 प्र0- 226003

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशीष कुमार पिता- राजन सिंह ग्राम- बडगाव पो0+थाना- मैरवा जिला- सिवान	ITP	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	धर्मेन्द्र कुमार पिता- जंगी सिंह ग्राम+पो0- नरकटिया थाना- उचकागांव जिला- गोपालगंज	BCS	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 0025065 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-20229846024 खाता धारक का नाम-CHIEF MEDICAL SUPERITENDENT (P.M& C.M) खाता” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-K.G.M.C LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000K656 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।



4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


पटना, दिनांक

28/11/2026

ज्ञापाक 268(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० D.D.25. 64 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) // आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक .....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	आयुष कुमार पिता- सत्येंदर कुमार ग्राम- बहुआरा पो०- मुजान थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 7489347	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	राजेश चौधरी पिता- प्रभु नाथ चौधरी ग्राम- ताजपुर पो०+थाना- ईटाढी जिला- बक्सर एमआरडी न०- 7986130	Uretric Stricture	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	चंदन कुमार पिता- गुड्डू कुमार ग्राम- समा बिगहा पो०- महुआवा थाना- सलैया जिला- औरंगाबाद एमआरडी न०- 7737784	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	दिनेश राम पिता- मोती राम ग्राम- नारायणपुर पो०- चद्रकैथी थाना- चेनारी जिला- रोहतास एमआरडी न०- 4770664	Epileptic Seizure	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	रंजीत ठाकुर पिता- सभू ठाकुर ग्राम- पालकिया पो0+थाना- शेरघाटी जिला- गयाजी एमआरडी न0- 5957023	ब्रेन हेमरेज	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	यशोदा देवी पति- अशोक कुमार विश्वकर्मा ग्राम+पो0- दारानगर थाना- नौहट्टा जिला- रोहतास एमआरडी न0- 6634228	न्यूरो रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	मीना देवी पति- श्याम सुन्दर सेठ ग्राम+पो0+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7855677	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	शोभा देवी पति- राजीव कुमार ग्राम- मखरा पो0- कैथी थाना- ओबरा जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 6400530	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	रवि कुमार जयसवाल पिता- शम्भू प्रसाद जयसवाल ग्राम- मठिया छतौनी पो0- मोतिहारी थाना- छतौनी जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 7456134	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	प्रेमचंद शर्मा पिता- विजय मिस्त्री ग्राम- बागडीहा मोड पो0+थाना- गुरारू जिला- गयाजी एमआरडी न0- अकित नहीं है।	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
11	ललित विजय पिता- सत्यम कुमार ग्राम+पो0- झाझरा थाना- जितना जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 7311636	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	अवधेश कुमार पिता- क्षितीश कुमार यादव ग्राम- अलीपुर पो0- सिरहीरा थाना- चांद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7951880	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

13	रानी देवी पति- विनोद पाण्डेय ग्राम- चिरैली पो0- बेलाई थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 4352679	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	सुरेश कुमार जैसवाल पिता- रूपनारायण जैसवाल ग्राम+पो0- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 8058621	न्यूरोलॉजी रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
15	सजय कुमार पासवान पिता- रामशंकर पासवान ग्राम- गोरार वार्ड 07 पो0+थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7698540	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
16	प्रिया देवी पति- बैजू सिंह ग्राम- बिस्टौल पो0- कुम्भावन थाना- कडौना जिला- जहानाबाद एमआरडी न0- 5348889	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	विद्यावती कुवर पति- रामानुग्रह मिश्र ग्राम- कल्याणपुर पो0- सिलारी थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 6755421	ब्रेन स्ट्रोक	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 21,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,00,000/- (इक्कीस लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0025457... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 267(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 0025.67 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14 / एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक  
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०  
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,  
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक .. ....

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनतिया देवी पति— हरेद्र यादव ग्राम— टगनी के डेरा पो०— बडका राजपुर थाना— तिलक राय के हाता जिला— बक्सर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कशालीला धोबी पिता— रामगीता धोबी ग्राम+पो०— सुकरविलया थाना— ईटाढी जिला— बक्सर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कुरबान आलम पिता— मुख्तार अहमद ग्राम— पलका पो०— पहारिया थाना— भभुआ जिला— कैमूर भभुआ	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 2,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/—(दो लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 0025067 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०—36180579026, खाता धारक का नाम— APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम— SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

268(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002544 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल  
घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मीना देवी पति- अरुण कुमार ग्राम- रजिस्ट्री बाजार पो०- सोनपुर थाना- सोनपुर जिला- सारण केस फाईल न०- केए/02479	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुनील कुमार सेठ पिता- लाल मोहन सेठ ग्राम+पो०- खैराहा थाना- डेहरी जिला- रोहतास केस फाईल नं०- 18एफ2025/020572	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सुनीता देवी पति- मिथिलेश सिंह ग्राम- खरवानिया पो०- बेलहरी थाना- सिकरौल जिला- बक्सर केस फाईल न०- 18एफ2023/006934	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	असलम आलम पिता- तस्लीम सिद्दीकी ग्राम+पो०- बडहरी थाना- बडहरी जिला- रोहतास केस फाईल न०- 18एफ2025/011639	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	फूल कुमारी यादव पति- रामधर यादव ग्राम- युवा पथ खजुरबारी पो0+थाना- जोगबानी जिला- अररिया केस फाईल न0- केई/51502	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	बबुली यादव पिता- लाल मोहर यादव ग्राम- जगदीशपुर पो0- नदौव थाना- मुफसिल जिला- बक्सर केस फाईल नं0- 18एफ2025/018998	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	शोभा देवी पति- मनोज कुमार ग्राम- महाजन टोली न0 01 पो0- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 16एफ2025/002579	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	अंजलि देवी पति- सालिग्राम सिंह ग्राम+पो0- रामपुर थाना- लौकरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 18एफ2025/011177	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	कविता कुमारी पति- कन्हैया कुमार ग्राम- पिटसर पो0- सैसड थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 18एफ2024/017439	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	नथुनी गिरी पिता- रामचंद्र गिरी ग्राम+पो0- खडतरी थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 18एफ2025/021858	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	मोनाली कुमारी पिता-विनोद चौधरी ग्राम+पो0-मोकामा घाट थाना-मोकामा जिला-पटना केस फाइल न0- 16एफ2025/001081	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	मोहन शर्मा पिता- स्व० कन्हैया शर्मा ग्राम+पो०- डिहरी थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल न०- 16 एफ 2025/001953	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	जगदीश सिंह पिता- बच्चा सिंह ग्राम- गोपालपुर टोला देउरवा पो०- अहियापुर थाना- भोरे जिला- गोपालगज केस फाईल न०- 18 एफ 2025/020868	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	निभा कुमारी पति- बिपुल कुमार ठाकुर ग्राम- गंगौली वार्ड 06 पो०- गंगौली थाना- रामदास राय के डेरा जिला- बक्सर केस फाईल न०- 18 एफ 2024/008969	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सोनू भाई पटेल पिता- दिनेश पटेल ग्राम+पो०- सोहागपुर थाना- हथुआ जिला- गोपालगज केस फाईल नं०- 16 एफ 2024/000031	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	मंजू देवी पति- कृष्णा मोहन गिरी ग्राम- शेखौना मठ दक्षिण टोला पो०- पिपरा पकडी थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं०- 18 एफ 2025/012814	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मुस्तफा असारी पिता- कलीमुल्लाह मिया ग्राम- सूर्यपुर पो०- जीवधारा थाना- पिपराकोठी जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 18 एफ 2025/007036	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

18	मो० जहाँगीर पिता- उस्मान कुरैशी ग्राम- हुसैनाबाद कर्टघर गली पो०- मिरजानहाट थाना- बबरगज जिला- भागलपुर केस फाईल न०- 18 एफ 2024/000826	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	सजीला बेगम पति- मो० नसीमुद्दीन असारी ग्राम+पो०+थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न०- 18 एफ 2024/020805	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	ज्ञान्ती देवी पति- कन्हैया प्रसाद जायसवाल ग्राम- तुरहा टोली पुरानी गुदरी पो०- बैतिया थाना- कालीबाग जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 18 एफ 2023/004347	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	चदा अग्रवाल पति- स्व० चद्रशेखर अग्रवाल ग्राम- भभुआ वार्ड 16 पो०+थाना- भभूआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न०- केई/08997	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	सुरेश सिंह पिता- विश्वनाथ सिंह ग्राम- डुमरिया पो०+थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न०- 16 एफ 2025/002490	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	मीना कुमारी पति- नरेश प्रसाद ग्राम- पाण्डेयडीह पो०+थाना- सिरदला जिला- नवादा केस फाईल न०- 18 एफ 2025/016483	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	सुमन द्विवेदी पति- सजीव कुमार द्विवेदी ग्राम- तिताईगंज पो०+थाना- टिकारी जिला- गयाजी केस फाईल न०- केई/02491	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

25	रूबी झा पति- किरण कुमार झा ग्राम- रहिका वार्ड 10 पो0+थाना- रहिका जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 18 एफ 2025/003331	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	विनोद यादव पिता- शिवशकर यादव ग्राम- चटेया पो0- गगपुर सिसवन थाना- सिसवन जिला- सिवान केस फाईल न0- 18 एफ 2025/009090	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	मुनिलाल सिंह पिता- स्व0 वीर दयाल यादव ग्राम- किसान मार्किट धहरा पूल पो0- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 12 एफ 2024/005407	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	मास्टर दीपाशु कुमार पिता- विजय महतो ग्राम- परसा खुर्द पो0+थाना- कन्हौली जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/007054	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	नीलकमल प्रसाद पिता- गणेशी यादव ग्राम- नासरीचक पो0- नूमर थाना- बरहट जिला- जमुई केस फाईल नं0- सीवी/01992	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	ललिता देवी पति- नीलकल प्रसाद ग्राम- नासरीचक पो0- नूमर थाना- मलयपुर जिला- जमुई केस फाईल न0- 18 एफ 2025/015904	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

31	सृष्टी कुमारी पिता- गौरी शकर शर्मा ग्राम- बैसखवा पो0+थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/005511	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	ऋषिता राज पिता- रामावतार प्रसाद ग्राम+पो0- मेढकुरी थाना- मेसकौर जिला- नवादा केस फाईल नं0- 18 एफ 2025/003739	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	भूपेद्र मालाकार पिता- जगदेव मालाकार ग्राम+पो0- रामपुर थाना- मुरलीगज जिला- मधेपुरा केस फाईल न0- केई/51664	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
34	शोभा देवी पति- अरविन्द राय ग्राम- बाबू टोला गुरवलिया पो0- गुरवलिया थाना- मनुआपुल जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 18 एफ 2025/018455	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
35	सीमा कुमारी पिता- दीपू कुमार ग्राम- चनका पो0- पेनार थाना- नोखा जिला- रोहतास केस फाईल न0- 16 एफ 2025/002582	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
36	मीरा देवी पति- चदेश्वर साह ग्राम- अमरथा पो0- गच्छई थाना- काराकाट जिला- रोहतास केस फाईल न0- 16 एफ 2025/001724	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
37	विनय कुमार पिता- राजेद्र चौधरी ग्राम- शोभागल वार्ड 40 पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास केस फाईल न0- 16 एफ 2025/002555	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

38	रूबी देवी पति- हरी सिंह ग्राम- अमदरही वार्ड 12 पो0- आमडाढी थाना- एकमा जिला- सारण केस फाईल न0- 18 एफ 2025/019367	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
39	हीरा राम पिता- मुखा राम ग्राम- जहागीरपुर पो0- सुहई शाहपुर थाना- बनियापुर जिला- सारण केस फाईल न0- 18 एफ 2025/021235	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
40	स्वेता कुमारी पिता- लाल बहादुर मिस्त्री ग्राम- सेनारी पो0- खटागी थाना- करपी जिला- अरवल केस फाईल न0- 16 एफ 2026/000045	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
41	इदु कुमारी पति- अनिल बैठा ग्राम+पो0+थाना- डुमरिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 18 एफ 2025/021640	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
42	बेबी अनायाह सरफराज पिता- मो0 सरफराज अहमद ग्राम+पो0- पिपरालातफ थाना- परबत्ता जिला- खगडिया केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/006420	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	रुकसाना खातून पति- शहाबुद्दीन मिया ग्राम- फखरुद्दीनपुर पो0- दीनदयालपुर थाना- जी बी नगर जिला- सिवान केस फाईल न0- 18एफ2023/007687	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

44	शिवानी राज पिता- योगेश्वर कुमार ग्राम+पो0- कुकुढा थाना- ईटाढी जिला- बक्सर केस फाईल न0- 16एफ2025/002452	कैंसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			43,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 43,10,000/- (तैंतालीस लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~0025064~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 269(14)

पटना, दिनाक- 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~0025064~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

## प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,  
Bhikharipur, B.L.W, Sunderpur Road,  
Varanasi - 221004

पटना, दिनांक ... ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	सविता देवी पति- महेद्र साह ग्राम+पो०- जमोहर थाना- दिनारा जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सीता देवी पति- राकेश यादव ग्राम- शेरपुर पो०+थाना- अकोढी गोला जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) ₹० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002567 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 21040638381, खाता धारक का नाम- Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम- Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000B874 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत

किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 270(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025...67 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
उपकार अस्पताल,  
सुपर स्पेसिलिटी सेन्टर,  
एन 8/91सी बी० एल० डब्ल्यू बीएचयू रोड,  
नेवाडा, सुन्दरपुर,  
वारानासी- 221005

पटना, दिनांक . ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	शबाना रोज पति- दिवान फिरोज खान ग्राम- बेउर पो०- मानपुर थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 0025064 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200053425596 खाता धारक का नाम- **UPKAR FOUNDATION**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC Bank**, शाखा का नाम- **LANKA VARANASI**, RTGS/IFSC कोड सं० **HDFC0001465** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

271(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002564 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल,  
चौदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म),  
बनारस बीड्स के पास,  
वाराणसी-221106

पटना, दिनांक .. .. .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	सुनील कुमार पासवान पिता- ददन पासवान ग्राम- भादी पो०- सैसर थाना- दिनारा जिला- रोहतास	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सैदा खातून पति- किताबुद्दीन अंसारी ग्राम- कदवां पो०- मेयारी बाजार थाना- नोखा जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
3	शारदा देवी पति- राकेश कुमार ग्राम- जहानाबाद पो०+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
4	लालती कुवर पति- उमाशंकर साह ग्राम- जहानाबाद कुदरा पो०+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 9,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,50,000/- (नौ लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 0025067...

द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता 060515973070, खाता धारक का नाम— **GANGA SEWA SADAN HOSPITAL**, खाते का प्रकार— **CURRENT ACCOUNT**, बैंक का नाम— **BANK OF MAHARASHTRA**, शाखा का नाम— **VARANASI**, RTGS/IFSC कोड सं०— **MAHB0001290** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 272(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002564 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आईसी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
**Indra Hospital**  
**Super Multi Speciality Hospital Pvt. Ltd.,**  
**Akhari Bypass, N.H.-2 Road,**  
**Varanasi 221011**

पटना, दिनांक. . . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता देवी पति- अनिल साह ग्राम- जहानाबाद पो०+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	कोकलीयर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
			₹ 4,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 0.125.67 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 701720110000018, खाता धारक का नाम- **INDRA HOSPITAL**, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- **BANK OF INDIA**, शाखा का नाम- **AKHARI, VARANASI**, RTGS/IFSC कोड सं०- **BKID0007017** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण चिकित्सा ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।
- 7 आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 273(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक ... ..

विषय.- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कमल किशोर शर्मा पिता- स्व० भगवत शर्मा ग्राम- हरपुरा पो०- महमदपुर थाना- बिक्रम जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2025/009789	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	नितेश कुमार पिता- विश्वनाथ राउत ग्राम- महुदाबाद पो०- मोहिउद्दीन नगर थाना- मोहिउद्दीननगर जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं०- 11एफ2024/029154	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	कल्याणी देवी पति- अखिलेश भगत ग्राम+पो०- गगद्वार थाना- अनघाटारही जिला- मधुबनी केस फाईल नं०- सीयू/26047	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	सुरेद्र कुमार पिता- देवशरण यादव ग्राम- दरियापुर गोला मोहर टोला पो०- बाकीपुर थाना- कदमकुंआ जिला- पटना केस फाईल न०- 11 एफ 2025/000665	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सुमन देवी पति- नवलेश कुमार ग्राम- श्रीरामपुर पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना केस फाईल न0- 11 एफ 2025 / 025502	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।
6	पूनम मिश्रा पति- शम्भू मिश्रा ग्राम- मिसरौली वार्ड 11 पो0- बेलही खास थाना- कटेया जिला- गोपालगज केस फाईल न0- 11 एफ 2025 / 031548	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।
7	गीता देवी पति- ओमप्रकाश राय ग्राम- मशरख पश्चिम टोला पो0- मशरख थाना- मशरक जिला- सारण केस फाईल न0- 11 एफ 2023 / 011809	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
8	प्रकाश कुमार पिता- राम अवतार साव ग्राम- दलदली रोड दानापुर पो0+थाना- दानापुर जिला- पटना केस फाईल न0- सीआर / 36691	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
9	राज कुमार पिता- अवधेश महतो ग्राम- बहुरुपिया पो0+थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ 2024 / 015384	बोन मैरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत ।
10	सूफी खातून पिता- आफताब आलम ग्राम- चामझडीहा पो0- सोनसीहरी थाना- मुफफसिल जिला- नवादा केस फाईल न0- 11 एफ 2025 / 019667	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।

11	अरविन्द कुमार वर्मा पिता- गगा सिंह ग्राम- कुसापी पो0- महमना थाना- टिकारी जिला- गयाजी केस फाईल न0- 11 एफ 2024 / 006494	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
12	बसंत कुमार सिंह पिता- शिव पूजन सिंह ग्राम- मानी वार्ड 04 पो0- मानी थाना- बिक्रमगज जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 18 एफ 2025 / 021924	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	बिदु देवी पति- राकेश कुमार सिंह ग्राम+पो0- बधिनी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 18 एफ 2025 / 018659	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			12,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,90,000/- (बारह लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~0025-64~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 274(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002544 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Rashtra Sant Tukdoji Cancer Hospital,  
Manewada Road, Nagpur - 440027.

पटना, दिनांक .... .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21/01/2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुमार विमल पिता- नागेद्र प्रसाद शर्मा ग्राम- कराम वार्ड 07 पो- डीरी थाना- अकबरपुर जिला- नवादा	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002564 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 911010046641553, खाता धारक का नाम- Cancer Relief Society RST RCH & RC, खाते का प्रकार- Saving, बैंक का नाम- Axis Bank, Medical Square, Nagpur - 440009, शाखा का नाम- B1, Honey Arcane Complex, Unthkana Road, Medical Square, Nagpur-9, RTGS/IFSC कोड स०- UTIB 0001044 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 275(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०... 0025... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड  
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अवधेश शर्मा पिता- स्व० भोला मिस्त्री ग्राम- करमा पो०- बालूगज थाना- डीबरा जिला- औरंगाबाद सीएमसी न०- एजी 61726	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	झूलन मिस्त्री पिता- ब्रह्मदेव मिस्त्री ग्राम- भलुआही पो०- केवाली थाना- कौवाकोल जिला- नवादा सीएमसी न०- एके 98040	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	तबरसुम आरा पति- मोहम्मद सरफराज कादरी ग्राम- पठान ओली पो०- औरंगाबाद थाना- टाउन जिला- औरंगाबाद सीएमसी न०- एजे 16849	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सरिता देवी पति- ब्रह्मनद यादव ग्राम+पो०- कटारी थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा सीएमसी न०- एडी 69276	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो0 हासिम असारि पिता- ओली मोहम्मद ग्राम- मोरमा पो0- कादिरगज थाना- नवादा जिला- नवादा सीएमसी नं0- एएच 33629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	धनमन्ति देवी पति- विसो यादव ग्राम+पो0- मथुरापुर थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई सीएमसी न0- एआई 48604	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	मोहन कुमार पिता- अवध किशोर सिंह ग्राम- हसनपुरा वार्ड 10 पो0- बालसोही थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान सीएमसी न0- एजे 37525	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			9,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,90,000/- (नौ लाख नब्बे हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 0025467 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 276 (14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002561 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
28/11/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/ एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
नारायणा सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
120/1, अंदुल रोड़,  
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक . . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेखा कुमारी पति- विवेक कुमार ग्राम- रमना रोड वार्ड 22 पो०- हेड पोस्ट ऑफिस थाना- सिविल लाईन जिला- गयाजी	हृदय रोग डीवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 1,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड़, शाखा पटना के क्रास चेक स० 0025\*67 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि०, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-Axis Bank Ltd, शाखा का नाम-सी०बी०बी० बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड स० UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधि मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना



आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 277(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025#67 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

**Centre for sight**

**(a Unit of New Delhi centre for sight Ltd.),**

**Banjara Hills Ashoka capital Building,**

**Road No. 2 Hyderabad-500034.**

पटना, दिनांक. .... .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 21.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	अतिफा पिता- मो० आसफ रेजा ग्राम- बगडहरा वार्ड 06 पो०- बगडहरा थाना- जोकिहाट जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002504 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 13458520000014 खाता धारक का नाम-New delhi Centre for sight Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम HDFC Bank Ltd. बैंक, शाखा का नाम S-4, Green Park Extn. New Delhi कोड सं० HDFC0001345 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 279 (14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.0.25.64 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख